भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
<u>लोक सभा</u>
<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1248</u>

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2017/1 पौष, 1939 (शक) को दिया जाना है)

संपत्ति और घोषणा आदेश

1248. डॉ. उदित राजः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भूमि, भवन, फ्लैटों तथा शेयर सहित सभी संपत्ति के संबंध में प्राधिकरणों को सूचित करने के लिए एक संपत्ति और घोषणा आदेश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक निश्चित तारीख के पश्चात् सभी अघोषित संपत्ति या शेयरों को अपने कब्जे में लेने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)</u>

(क) एवं (ख) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय से संशोधन किया गया था ताकि बेनामी संपत्ति की कुर्की और जब्ती की जा सके और बेनामीदार तथा बेनामी संपत्ति के लाभग्राही मालिकों के अभियोजन के प्रावधान की व्यवस्था की जा सके। बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016, 01 नवंबर, 2016 से लागू हो गया है। संशोधित अधिनियम बेनामी लेनदेन और बेनामी संपत्ति को परिभाषित करता है। इस अधिनियम में बेनामी संपत्ति की कुर्की और जब्त किए जाने और अभियोजन चलाए जाने का प्रावधान है जिससे बेनामी संपत्ति के रूप में कर अपवंचित धन के सृजन और उसको जमा करने के एक मुख्य अवसर को रोका जा सकेगा। आयकर विभाग ने इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभावकारी कार्रवाई करने के लिए देशभर में 24 समर्थित बेनामी निषेध इकाइयां गठित की हैं।

*****